कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

18/6/24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अंतिम बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नं० 84 में डोटेड लाइन से रास्ता गलत दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर उक्त रास्ता खसरा नं० 35 में से चल रहा है जिसके पे सड़क का निर्माण भी किया गया है। अब गलत रिकॉर्ड/नक्शा के आधार पर अप्रार्थीगण खसरा नं० 84 में से रास्ता निकालना चाहते हैं अतः न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.12.24 को कन्फर्म किया जावे।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि मौके पर रास्ता खसरा नं० 35 में ना होकर खसरा नं० 84 में से ही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी खसरा नं० 84 में ही दर्ज है अतः प्रार्थी एकदम बोगस दावा व प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं जिसको खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज व शपथ पत्र (रास्ते को लेकर लिखा-पढ़ी) संलग्न किये हैं जिससे प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अगर गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में रास्ता मौके पर बनने से उसे अपूरणीय क्षति होगी अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.12.24 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

P.T.O. [signature]

आदेश	कार्यवाही विवरण
7	कि राजस्व ग्राम खेसवा की ढाणी के खसरा नम्बर 84 रकबा 1.91 हे॰ के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखें।
	निर्णय आज दिनांक 18.06.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[illegible] 18/06/24
	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़